190

DS(S)/80-7

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

30 JUL 2013

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14366/1295 दिनांकः 26.07.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत सिलाव के वर्ष 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 547/12-13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय
26/7/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

50-7
1/8/13
3997(S)
31/7/13
118
30/10
133

नगर पंचायत, सिलाव
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 547 / 12–13
(अवधि –2011–12)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, सिलाव, नालन्दा के वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा जांच प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 20.12.2012 से 29.12.2012 तक की अवधि में की गयी।

2. प्रशासन

मुख्य पार्षद		
1	श्रीमति सुनैना देवी	01.04.2011 से 31.03.2012 तक
उपमुख्य पार्षद		
1	श्री अनुज कुमार	01.04.2011 से 27.09.2011 तक
कार्यपालक पदाधिकारी		
1	श्री नन्द बिहारी प्रसाद	01.04.2011 से 31.03.2012 तक

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र :

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत, सिलाव में अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाए कंडिकाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि अभी तक कितने प्रतिवेदनों की कितनी कंडिकाएँ अनुपालन हेतु लंबित थीं। वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनका अनुपालन नहीं किया जा सका। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र इस कार्यालय को भेजा जाए।

5. अधिदृश्य

नगर पंचायत, सिलाव मुख्यतः सरकार से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित था। नगर पंचायत के स्वयं के स्रोतों से आय बहुत ही कम था। मुख्य स्त्रोतों यथा भवन कर, सैरात की बंदोबस्ती तथा दुकान किराया मद से बहुत ही कम राशि वसूल की गयी थी। कई करों यथा भयावह एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर, टिन टिकट पंजीकरण विज्ञापन पर कर, मोबाईल टावरों से वसूली इत्यादि का या तो अधिरोपण नहीं किया गया था अथवा इसकी वसूली नहीं की जा रही थी।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न रोकड़बहियों एवं बैंक खातों के अनुसार संव्यवहार निम्न प्रकार था-

(88

01.04.11 को प्रारंभ शेष -	11922310.19
वर्ष के दौरान प्राप्ति -- अनुदान एवं अन्य क्षेत्र	13316143.00
राशि स्थानांतरित	918021.00
कुल प्राप्ति --	26156474.19
वर्ष के दौरान व्यय एवं स्थानांतरित राशि –	8521670.00
31.03.12 को अवशेष --	17634804.19

(विस्तृत विवरण संलग्न किया गया है)

परिशिष्ट-III

इन राशियों को13 बैंक खाताओं मे रखा गया था, जिसका विवरण संलग्न किया गया है। अधिकांश राशियों का उपयोग नहीं किया गया था तथा इसे बाधित कर रखा गया था।

अंकेक्षण में इन संव्यवहारों के संबंध में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया–

(i) संलग्न विवरण के क्र0 सं0 5 से 11 तक के संव्यवहारों के लिए सहायक रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था?

(ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि का संव्यवहार तीन बैंक खाताओं के माध्यम से किया जा रहा था। जबकि सरकार के निर्देशों के अनुसार एक से अधिक खातों में राशि नहीं रखी जानी है।

(iii) सामान्य रोकड़बही (खाता सं0 8400) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हरताक्षरित क्यों नहीं था?

(iv) अनुदान से संबंधित राशि रु0177686.13 जो खाता सं0 7592 (भा0 स्टेट बैंक, राजगीर) में था को खाता सं0-- 8400 (म0बि0ग्रा0बैंक) में स्थानांतरित क्यों किया गया था। यह राशि किस अनुदान की थी तथा इसे सामान्य रोकड़बही की राशि के साथ क्यों मिश्रित कर दिया गया?

(v) पथ-नाली सहाय अनुदान से रु0 740305.00 का स्थानांतरण प्रशासनिक भवन निर्माण मद में क्यों किया गया था? इन बिन्दुओं को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

6. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियॉं

क्र. सं.	कंडिका संख्या	विवरण
1.	7	बजट पारित कराए बिना सरकार को गलत सूचना भेजना
2.	10	गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना
3	11(i)	13वीं वित्त की राशि से रु0 69186 का विचलन
4	11(ii)	12 वीं वित्त की राशि में रू0 2.06 लाख का विचलन
5	13(ii)	नगर पंचायत क्षेत्र के 1060 भवनों पर कारारोपन नहीं
6	15	मोबाइल टावर का पजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं
7	17	अस्थाई कर्मियों को अधिक भुगतान

7. बजट पारित कराए बिना सरकार को गलत सूचना भेजना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 84 में नगरपालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करने तथा उसे सरकार को अंगीकृत करने हेतु भेजने का प्रावधान किया गया हैं। लेकिन नगर पंचायत, सिलाव के बजट प्राक्कलन से संबंधित संचिका की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011 12 का बजट नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में पारित नहीं किया गया था। इसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 240 दिनांक 02.05.2011 द्वारा उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचित किया गया था कि दिनांक 17.03.2011 के बोर्ड की बैठक में 2011–12 का बजट पारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बगैर बजट पारित किये सरकार को गलत सूचना भेजी गई थी। कितनी राशि का बजट पारित किया गया था अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए।

8. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 से 89 तक में नगरपालिका के लेखा संधारण, वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र को बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए वार्षिक लेखा का संधारण करना है तथा धारा 90 के प्रावधान के तहत इसे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करना है। लेकिन नगर पंचायत सिलाव में न तो वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था और न ही तुलन पत्र तैयार किया गया था। इन महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण नहीं करने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

9. अनुदान पंजी का संधारण नहीं

नगर पंचायत, सिलाव में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में विभिन्न अनुदानों की स्थिति एवं पूर्वशेष (01.04.11) ज्ञात नहीं हो सका तथा न ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदानो तथा व्ययों का विवरण 31.03.2012 का अन्त शेष ज्ञात हो सका। नगर पंचायत कार्यालय के विभिन्न रोकडवहियों, अनुदान पत्रों तथा जमा विवरणियों के अनुसार कुल रु0 1.09 करोड़ वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र0 सं0	पत्रांक सं0/दिनांक	राशि(₹)	विवरण/मद का नाम
1	सहायक निबंधक महा निरोक्षक बिहार पटना के पत्रांक 2208 दिनांक 28.08.09	403316.00	मुद्रांक शुल्क
2	नगर बि0एवं आ0 विभाग, बिहार का पत्रांक 21 दिनांक 04.08.11	900000.00	13वीं वित्त आयोग
3	–तथैव– पत्रांक 95 दिनांक	800000.00	–तथैव– (वर्ष 10–11

	17.08.10		का विलंब से प्राप्त)
4	–तथैव– पत्रांक 15 दिनांक 23. 08.11	44000.00	–तथैव–
5	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार के पत्रांक 5/3454 दिनांक 06.01.12	175900.00	जनगणना कार्य
6	नगर वि0 एवं आ0 विभाग बिहार का पत्रांक 36 दिनांक 25.01.12	67200.00	पार्षद एवं निर्वाचित सदस्यों का भत्ता
7	–तथैव– पत्रांक 58 दिनांक 13. 03.12	956000.00	13वीं वित्त आयोग
8	प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 18 दिनांक 26.03.12	3300.00	जनगणना कार्य
9	नगर वि0 एवं आ0 विभाग, बिहार का पत्रांक 60 दिनांक 19. 03.12	2190608.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
10	– तथैव –	1599057.00	– तथैव –
11	– तथैव – पत्रांक 53 दिनांक 26.03.12	2000000.00	– तथैव –
12	– तथैव – पत्रांक 58 दिनांक 19.03.12	78979.00	कम्प्यूटरीकृत तकनीक हेंतु
13	जिला परिषद, नालंदा का पत्रांक 02 दिनांक 07.01.12	914434.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
14	– तथैव – पत्रांक सं0 अनुपलब्ध	742197.00	– तथैव –
	योग–	**10874991.00**	

उपरोक्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया, अनुदान पंजी के अभाव से ज्ञात नही किया जा सका। अतः इसका संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

10. गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना

(i) 13वीं वित्तः– नगर पंचायत कार्यालय के रोकड़वहियों एवं अभिलेखों के अनुसार तेरहवें वित आयोग मद मे वित्तीय वर्ष 2011–12 मे निम्न राशियों प्राप्त हुयी थी–

क्र0 सं0	पत्रांक सं0 एवं दिनांक	प्राप्त राशि (₹)
1	नगर बि0 एवं आ0 विभाग, बिहार का पत्रांक 21 दिनांक 04.08.11	900000.00
2	– तथैव – पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10 (वित्तीय वर्ष 2010–11 की राशि वर्ष 2011–12 में प्राप्त हुयी थी)	800000.00
3	– तथैव – पत्रांक 15 दिनांक 23.08.11	44000.00
4	– तथैव – पत्रांक 58 दिनांक 13.03.12	956000.00
	कुल	2700000.00

तेरहवे बित आयोग की सहायक रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार 31.03.12 को अवशेष रु0 1552435.00 था।

तेरहवें वित के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की जॉच में पाया गया की कार्यपालक पदाधिकारी, द्वारा दिनांक 04.08.12 को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त राशियों की उपयोगिता पूर्ण रूप से कर ली गयी थी। जबकि दिनांक 04.08.12 को सहायक रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार अंतशेष रु0 1018875.00 था। अर्थात सरकार को भेजी गयी उपयोगिता प्रमाण पत्र गलत थी।

अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त तीन अनुदानों (क्र0 सं0 3 को छोड़कर) के राशियों का पूर्ण उपयोग किये बिना संपूर्ण राशि का उपयोगिता सरकार को कैसे भेजा गया।

(ii) 12 वी वित्त

द्वादश वित्त आयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की जॉच में पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14.7.11 को सरकार को सूचित किया गया था कि 2009–10 तक प्राप्त सभी राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अवशेष शुन्य है (इस योजना की अवधि 2009–10 तक ही थी)। अर्थात संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है। लेकिन द्वादश वित्त की रोकड़बही के अनुसार मार्च'12 तक नगर पंचायत कार्यालय में रु0 773889.00 अवशेष पड़ी हुयी थी।

अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र क्यों भेजा गया था अतः इसे अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

11(i). 13वीं वित्त की राशि से रु0 69,486 का विचलन

तेरहवें वित्त आयोग की राशि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाना था:–

1 कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर

2 पाईप जलापूर्ति व्यवस्था एवं उसके रख–रखाव पर

3 सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किये बिजली बिल का भुगतान

4 रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख–रखाव।

नगर पंचायत सिलाव के 13 बीं वित्त के रोकड़वही के जॉच में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन कर इस मद से रु0 69486.00 का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)	विवरण
1	103485	23.03.12	59486.00	श्री सुनील कुमार पाल, सिस्टम केयर पटना को कम्प्यूटर आपूर्ति के लिए।
2	159961	25.11.11	10000.00	आवश्यक कार्यालय व्यय हेतु श्री प्रकाश, टैक्स दारोगा को भुगतान
		योग–	69486.00	

वित्त आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंधन कर इस मद से रु0 69486.00 का विचलन किया गया था जिसका कारण नगर पंचायत द्वारा नहीं बतलाया गया। अतः इस विचलन को संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी का अनुदान प्राप्त करने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

11. (ii)12वीं वित्त की राशि से रु0 205913.00 का विचलन

द्वादश वित्त आयोग की राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल रु0 847509.00 का व्यय किया गया था, जबकि इस योजना मद की राशि का उपयोग 2009–10 तक ही कर लिया जाना था। इस राशि में से रु0 205913.00 का भुगतान इस योजना के दिशानिर्देशों के विरूद्ध किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)	विवरण
1	102034	06.04.11	53450.00	कार्यालय का कमरा निर्माण
2	102042	26.06.11	32330.00	-- तथैव --
3	102053	05.08.11	8513.00	सिटी मैनेजर के चैम्बर हेतु कुर्सी एव डेस्क खरीद के विभिन्न भुगतान
4	102055	19.08.11	13620.00	सभा भवन के लिए कुर्सी खरीद
5	102043	01.09.11	2886.00	झंडातोलन के लिए झंडा एवं अन्य सामग्री
6	102057	27.09.11	3094.00	कार्यालय हेतु पर्दा, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री

7	102044	29.09.11	4260.00	नेशनल ईश्योरेंस को वाहन सं0 BR-21C/3911 का बीमा नवीकरण
8	102060	03.02.12	25000.00	सफाई कार्य के लिए अग्रीम
9	096269	02.03.12	920.00	–तदैव– सामंजन
10	096268	"	30000.00	–तदैव– अग्रीम
11	096274	15.03.12	21840.00	–तदैव– भुगतान
12	096276	27.03.12	10000.00	चैती छठ बड़गॉव में सफाई हेतु अग्रीम

योग– 205913.00

उपरोक्त व्यय कार्यालय निर्माण, उसके साज सज्जा तथा स्वयं के दैनिक दायित्वों के ऊपर किया गया था, जो इस योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि दिशानिर्देशों का उल्लंधन कर इस मद से रु0 205913.00 का विचलन क्यों किया गया। अतः संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा इस विचलन को नियमित किये जाने तक ₹205913.00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

12. समाप्त हो चूकी योजनाओं की राशि बाधित कर रखना

नगर पंचायत के विभिन्न रोकड़वाहियों एवं बैंक खाताओं के अनुसार कई योजना मदों की राशियों का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा वे लंबे समय से नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बाधित कर रखी गयी थी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	मद का नाम	31.03.12 को रोकड़वही/बैंक खाता का अवशेष	अभियुक्ति
1	द्वादश वित आयोग	773889.00	यह योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में समाप्त हो चुकी है।
2	प्रशासनिक भवन निर्माण	3397899.00	वित्तीय वर्ष 2007–08 में ही प्राप्त हुआ था।
3	स्वर्ण जयंती शहरी अनुदान	852207.10	वित्तीय वर्ष 2006–07 तक ही अनुदान प्राप्त हुआ था।
4	पथ–नाली सहाय अनुदान	51267.00	लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ा था
5	सांसद/विधायक मद	147516.00	यह योजना बंद की जा चुकी है।
6	राष्ट्रीय गंदीबस्ती विकास कार्यक्रम	8590.00	वित्तीय वर्ष 2005–06 तक ही अनुदान प्राप्त हुआ था।

योग- 5231368.10

उपरोक्त राशि रु0 52.31 लाख को वित्तीय वर्ष 11–12 तक उपयोग नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया। अगर इन राशियों के उपयोग होने की संभावना नहीं है तो इन्हें अबिलंव संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाना चाहिए।

13 (i) महत्वपूर्ण करों का करारोपण नहीं

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की विभिन्न धाराओं में नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व के स्रोत के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसके लिए नगर पालिका को करारोपण का अधिकार दिया गया है। नगर पंचायत, सिलाव के रोकड़वही की जॉच में पाया गया कि इसके आंतरिक (स्वयं) स्त्रोत से बहुत ही कम राजस्व की वसूली की जा रही है क्या वित्तीय वर्ष 2011–12 में इसके आन्तरिक स्रोतों से मात्र रु0 2.22 लाख ही प्राप्त हुए है। नगरपालिका के आन्तरिक श्रोतों की जॉच में पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण निम्न करों का करारोपण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया है–

क) **भयाबह एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर**:– नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित आटा चक्की, जेनरेटर पटाखा दुकानों, आरा मशीन इत्यादि जैसे व्यवसायों पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रतिवर्ष करों की वसूली का प्रावधान है। लेकिन इस नगर पंचायत द्वारा इसकी वसूली नहीं कि जा रही है।

ख) **टिन टिकट/ पंजीकरण नहीं** :– रिक्शा, ठेलागाड़ी, बैलगाड़ी, टमटम इत्यादि जो नगर पंचायत क्षेत्र में चलाए जाते हैं उनपर निर्धारित दर से टिनटिकट के माध्यम से पंजीकरण शुल्क वसूल करना है। नगर पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टमटम, रिक्शा इत्यादि चलित है, लेकिन उनसे पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।

ग) **विज्ञापन पर कर** :– बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 में नगर पंचायत क्षेत्र में प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन पर करों की वसूली की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस नगर पंचायत में प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों पर करारोपण नहीं किया गया है।

नगर पंचायत द्वारा अपने आंतरिक स्रोतों के सुदृढ़ीकरण के लिए उपरोक्त करो का करारोपण नहीं करने का कारण अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त करो का करारोपण कर आंतरिक स्रोतों को सुदृढ़ किया जाए।

13(ii) नगर पंचायत क्षेत्र के 1060 भवनों पर करारोपण नहीं

नगर पंचायत, सिलाव के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 483/11–12 के अनुसार वर्ष 2006 में सिलाव नगर पंचायत क्षेत्र में कुल होल्डिंग की संख्या 3359 थी, जिनका भवन करों का वार्षिक मॉग रु0 148298.00 था। नगर पंचायत के वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 7 मार्च 2011 तक नगर पंचायत क्षेत्र में कुल घरों की संख्या 4419 थी अर्थात, 1060 भवनों पर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा करारोपण नहीं किया गया था। इसके कारण नगर पंचायत को प्रतिवर्ष भवन करों की हानि हो रही है।

अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि 1060 भवनों पर क्यों नहीं करारोपण की गयी तथा इसकी वसूली नगर पंचायत द्वारा क्यों नहीं की जा रही थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन भवनों पर करारोपण कर भवन कर वसूली का प्रयास किया जाए।

13. (iii) भवन कर की नगण्य वसूली

नगर पंचायत, सिलाव में भवन करों के मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित भवनों एवं उनपर अधिरोपित किये गये करों की जानकारी नहीं हो सकी।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 483/11–12 की कंडिका 13 के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण कर मॉग पंजी तैयार किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2006 में 11 वार्डो में कुल 3359 भवन थे जिनका वार्षिक भवन कर रु0 148298.00 था। लेकिन इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 370 दिनांक 08.08.12 द्वारा सरकार को सूचित किया गया था कि इस नगर पंचायत में कुल होल्डिंगों की संख्या 4095 है तथा कुल मॉग रु0 148298.00 है। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। कि जब 736 होल्डिंग बढ़े गये तो होल्डिंग का वार्षिक मॉग क्यों नहीं बढ़ा।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2010–11 तक

होल्डिंग कर की बकाया मॉग थी		रु0 741490.00
वर्ष का चालू मॉग	–	रु0 148298.00
कुल मॉग	–	रु0 889788.00
वर्ष के दौरान वसूली	–	रु0 79469.00
31.03.12 को बकाया मॉग	–	रु0 810319.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि होल्डिंग करों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अतः नगर पंचायत प्रशासन को इन करों की वसूली के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

14. रौरात बंदोबस्ती में मुद्रांक शुल्क की राजस्व हानि (₹7082.00)

नगर पंचायत, सिलाव द्वारा दो सैरातों की बंदोबस्ती 2011–12 में होना बतलाया गया, जबकि विज्ञापन पॉच सैरातों के लिए निकाला गया था। तीन सैरातों (होल्डिंग, पोलों पर डिस्पले बोर्ड तथा टिन–टिकट निबंधन शुल्क) का बंदोबस्ती नहीं होने का कारण अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया।

शेष दो सैरातों जिनकी बंदोबस्ती की गयी थी, के बन्दोबस्ती का एकरारनामा बन्दोबस्ती राशि के 3% मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था। इसके कारण रु0 6482.00 के सरकारी राजस्व (मुद्रांक शुल्क) की हानि हुयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्तीधारी का नाम	बंदोबस्ती की राशि	कटौती नहीं की गयी मुद्रांक शुल्क (रु0 में)
1	पार्किंग शुल्क	श्री दिनेश कुमार मुरौरा, बिहारशरीफ	230000.00	6900.00
2	मवेशी फाटक	" जगदेव प्रसाद कड़ाहडीह	6051.00	182.00
			योग–	**7082.00**

अतः मुद्रांक शुल्क की राजस्व हानि की राशि ₹7082.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए।

15. मोबाईल टावर का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं ₹4.04 लाख

नगर पंचायत, सिलाव में मोबाईल टावर से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी से ज्ञात हुआ कि पंचायत क्षेत्र में कुल सात टावर अधिष्ठापित थे।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गये विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित किए गये कुल सात मोबाइल टावर (2011–12 तक) जिनपर मार्च 2012 तक कुल रु0 180000/– पंजीयन शुल्क तथा रु0 224000/– नवीनीकरण शुल्क के रूप में बकाया था, जिसका विवरण परिशिष्ट–IV पर दिया गया हैं ।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपरोक्त कुल राशि रु0 404000/ के वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इन राशियों को शीघ्र वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए।

16(i) योजनाओं के भुगतान में वैट की कम कटौती (₹0.33 लाख)

नगर पंचायत, सिलाव के योजना पंजी एवं संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि अंतिम भुगतान से पूर्व बैट राशि की गलत गणना करने के कारण रु0 33477 की बैट कटौती कम की गयी थी। कार्यालय द्वारा बैट की गणना कार्य में प्रयुक्त सामग्री के मूल्य पर @ 4% की दर से की गयी थी। जबकि बैट राशि संविदा कार्य में कुल लागत मूल्य के @ 4% (31.03.12 तक) की दर से किया जाना था। अतः गलत गणना करने के कारण संवेदकों को रु0 33477.00 का लाभ हुआ, जिसका विवरण निचे दिया गया है–

क्र0 सं0	योजना सं0	संवेदक का नाम	भुगतान की गयी राशि	कटौती की जाने वाली बैट राशि	कटौती की गयी राशि	कम कटौती की गयी राशि
मद का नाम– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि						
1	4/09–10	श्री संजय कुमार	147816	5913	796	5117
2	6/"	श्री अरबिन्द कुमार	99998	4000	102	3898
3	8/"	"सियाशरण प्रसाद	150153	6006	1714	4292
4	2/10–11	श्री संजय कुमार	57998	2320	2235	85
5	4/10–11	श्री सुशील कुमार	83000	3320	2928	392
6	7/10–11	श्री मनोज कुमार	69229	2769	1427	1342
7	13/11"	मो0 अनवर	74999	3000	2658	342
8	14/"	" सियाशरण प्रसाद	84990	3400	3217	183
9	15/"	मो0 कलीमउद्दीन	74994	3000	2876	124
10	52/11–12	श्री रविन्द्र कुमार	25283	1011	–	1011
11	50/"	" –तदैव–	95999	3840	1659	2181
12	54/"	" –तदैव–	8243	330	137	193
13	55/"	" –तदैव–	47946	1918	1154	764
14	58/"	" रामेश्वर प्रसाद	37497	1500	953	547
15	71/"	" मो0 अनवर	53320	2133	1428	705
16	69/"	" –तदैव–	95588	3824	3719	10512
17	63/"	" सियाशरण प्रसाद	90006	3600	3125	475
18	64/11–12	" सियाशरण प्रसाद	78054	3122	2717	405
19	60/"	" मनोज कुमार	45790	1832	1491	341
					योग–	**22502**
12वॉ वित्त की योजना						
1	01/11–12	श्री सुशील कुमार	46689	1868	1244	624
2	02/"	–तदैव–	141062	5642	2569	3073
3	06/"	–तदैव–	14982	599	535	64
4	7/"	–तदैव–	13992	560	272	288
5	8/"	–तदैव–	37446	1498	734	764

6	13/"	–तदैव–	24278	971	678	293
					योग–	**5106**
13वॉ वित्त की योजना						
1	16/10–11	श्री रविन्द कुमार	29217	1169	70	1099
2	18/"	श्री सुशील कुमार	22126	885	759	126
3	21/"	श्री अरबिन्द कुमार	20209	808	669	139
4	22/"	श्री मनोज कुमार	35000	1400	1251	149
5	24/"	" मो0 अनवर	30231	1209	1018	191
6	25/"	" मो0 कलीमुद्दीन	30235	1209	966	243
7	27/"	श्री रविन्द्र कुमार	19917	797	660	137
8	30/11–12	श्री मनोज कुमार	29578	1183	524	659
9	31/"	–तदैव–	64000	2560	2452	108
10	32/"	–तदैव–	53920	2157	1344	813
11	20/"	–तदैव–	59997	2400	1828	572
12	42/"	" मो0 कलीमुद्दीन	44695	1788	1272	516
13	45 A/"	–तदैव–	13317	533	58	475
14	45 B/"	–तदैव–	72919	2917	2327	590
15	14/"	" रामेशवर प्रसाद	23303	932	880	52
					योग–	**5869**
					योग	**₹33477**

अधिक भुगतान की गयी वैट राशि की वसूली विपत्र पारित करने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए।

16(ii) संवेदकों के विपत्रों से सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में क्रियान्वित एवं अंतिम भुगतान किये गये योजना संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि संवेदकों के विपत्रों से सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं की गयी थी। ज्ञातव्य है कि संविदा पर कराए जा रहे कार्यो के अंतिम भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत राशि (लागत मूल्य का) की कटौती सुरक्षित जमा के रूप में की जानी है, जिसे छः माह उपरांत योजना कार्य की गुणवता ठीक रहने पर वापस करना है अथवा कार्य की गुणवता खराब रहने पर उसे जब्त कर लेना है। लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नियमानुसार संवेदको के विपत्रों से 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि की कटौती क्यों नहीं की गयी थी।

16 (iii) योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं

नगर पंचायत, सिलाव द्वारा 2011–12 में विभिन्न योजना मदो से यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, द्वादश वित्त, तेरहवॉ वित्त की राशि से योजनाओं के विपत्रों का भुगतान किया गया था।

सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका के प्रत्येक योजना का गुणवता जॉच कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण के कार्यालय से कराया जाना है। लेकिन नगर पंचायत, सिलाव द्वारा बगैर गुणता जॉच कराये भुगतान कर दिया गया था।

अंकेक्षण में यह नही बताया गया की बिना गुणवता जॉच के संवेदको को क्यों भुगतान किया गया।

16.(iv) संवेदको से बिलंव क्रियान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं किया जाना–₹0.67 लाख

नगर पंचायत, सिलाव द्वारा संवेदकों के साथ एकरारनामा Apendix - 12 में किया गया था, जो प्रखण्ड कार्यालय के लिए विभागीय कार्यो के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त अभिकर्त्ता के लिए था, जो कि गलत था। संविदा कार्य के लिए एकरारनामा संवेदक के साथ बिहार लोक निर्माण विभाग के फार्म सं0– F- 2 में करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

फार्म सं0– F- 2 में निविदा की शर्त के अंतर्गत कंडिका– 2 (Clouse- 2 of conditions of contract) में यह प्रावधान किया गया है कि कार्य के लिए दिये गये समयावधि मे कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन प्राक्कलित मूल्य के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से तथा अधिकतम 10 प्रतिशत संवेदक के विपत्र से कटौती करनी है।

इस कार्यालय द्वार वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण की गयी एवं भुगतान की गयी योजनाओं के संचिकाओं की नमूना जॉच मे पाया गया कि 10 योजनाओं का क्रियान्वयन काफी बिलंव से किया गया था, जिसमें संवेदक से बिलंव के लिए रु0 66,964.00 के क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं की गयी थी, जिसका विवरण परिशिष्ट–V पर दिया गया है। शेष योजनाओं की जॉच अपने स्तर से कर इसकी गणना की जाए।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट नही किया गया कि संवेदक के साथ एकरारनामा नियमानुसार फार्म में क्यो नहीं किया गया था तथा बिलंव के लिए क्षतिपूर्ति की कटौती संवेदकों के अंतिम भुगतान से पूर्व क्यों नहीं की गयी। अतः ₹66964.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर विपत्रों को भुगतान करने के लिए जिम्मेवार पंचायत निधि में जमा किया जाए।

16 (v) श्रम सेस की कम कटौती–0.06 लाख

बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–बी0सी0उब्लू0 सी0– 01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित कर चुका है कि श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए सभी कार्य विभागों को एक प्रतिशत योजनाओं के लागत मूल्य का "श्रम सेस" कटौती कर जमा करना है। लेकिन नगर पंचायत सिलाव द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में भुगतान किये गये योजनाओं के योजना पंजी तथा संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि रु0 5591.00 श्रम सेस के रूप में कम कटौती की गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	योजना सं0	संवेदक का नाम मद–पिछड़ा क्षेत्र	कार्य का लागत मूल्य अनुदान निजि	श्रम सेस की कटौती की जाने वाली राशि	कटौती की गयी राशि	कम कटौती की गयी राशि
1	4/09–10	श्री संजय कुमार	147816	1478	186	1292.00
2	6/"	अरबिन्द कुमार	99998	1000	26	974.00
3	8/"	सियाशरण प्रसाद	150153	1502	517	985.00
मद–12वॉ वित्त						
4	3/09–10	श्री संजय कुमार	23800	238	18	220.00
5	8/"	अरबिन्द कुमार	59998	600	34	566.00
6	12/"	–तदैव–	36660	367	19	348.00
7	13/"	–तदैव–	72976	730	9	721.00
8	16/"	सियाशरण प्रसाद	22751	228	18	210.00
मद–13वॉ वित्त						
9	16/10–11	श्री रविन्द्र कुमार	29217	292	17	275.00
					योग–	**5591.00**

श्रम सेस रु0 5591.00 कम कटौती करने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः इस राशि की वसूली भुगतान करने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाए।

17. अस्थाई कर्मियों को अधिक भुगतान

नगर पंचायत सिलाव के अस्थाई सफाई कर्मियों के भुगतान पंजी एवं उपस्थिति पुस्तिका के नमूना जॉच में निम्न त्रुटियों का पता चला–

क) जुलाई 2011 माह के भुगतान पंजी एवं उपस्थिति पंजी के मिलान करने पर पाया गया कि अनेक कर्मियों को उपस्थिति दिन से ज्यादा का भुगतान किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	अस्थाई कर्मियों का नाम	कुल उपस्थिति दिन (उपस्थिति पुस्तिका अनुसार)	भुगतानों का दिन (मानदेय पंजी के अनुसार)	अधिक भुगतान दर x दिन	कुल अधिक भुगतान
1	शंकर दास, चालक	20	23	125x3	375
2	अर्जुन लाल सफाई कर्मी	12	14	125x2	250
3	बलभुआ लाल "	15	18	125x3	375
4	टुन्नु लाल "	17	18	125x1	125
5	लल बाबू "	9	10	125x1	125
6	कृष्ण लाल "	17	21	125x4	500
7	रंजीत "	7	8	125x1	125

जुलाई माह में कुल अधिक भुगतानः-- रु0 1775/-

इसी प्रकार से पूरे वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपस्थिति दिनों एवं भुगतान किए गए दिनों में अन्तर पाया गया।

ख) अनेक अस्थाई कर्मियों को पहले अनुपस्थित किया गया तथा बाद में उपस्थिति पुस्तिका में छेड़छाड़ करके उपस्थित दिखाया गया, उदाहरण स्वरूप दिसम्बर 2011 का उपस्थिति पंजी।

अतः नगर पंचायत, सिलाव, वित्तीय वर्ष 2011–12 के अस्थाई कर्मियों का उपस्थिति पुस्तिका तथा मानदेय पंजी का जॉच कर अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित कर्मियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति न हो ऐसा सुनिश्चित किया जाए।

18. नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर रु0 35,000.00 का भुगतान/व्यय

नगर पंचायत, सिलाव के रोकड़वही के जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत निधि से रु0 35000.00 का भुगतान बड़गॉव में चैती एवं कार्तिक छठ के अवसर पर किया गया था, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से लगभग 7 किमी दूर है। भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	भाउचर सं0	चेक सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
1	12	501053 (A/C No. 8400)	01.04.11	8000.00	चैती छठ 2011 के अवतार पर बड़गॉव छठ मेला में सफाई हेतु श्री प्रकाश, टैक्स दारोगा को अग्रीम
2	140	159725 (A/C No. 8400)	24.10.11	15000.00	कार्तिक छठ 2011 –तदैव–
3	170	159734 "	26.03.12	2000.00	–तदैव– के0 शेष राशि का भुगतान
4	303	096276 (17^{th} FC)	26.03.11	10000.00	चैती छठ 2012 बड़गॉव के अवसर पर श्री प्रकाश टैक्स दारोगा को अग्रीम
			योग–	35000.00	

इसके संबंध में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर के पत्रांक 400/गो0 दिनांक 19.10.11 तथा पत्र सं0 102/गो0 दिनांक 23.03.12 के आलोक में यह व्यय किया गया है। जो कि नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

नगर पंचायत निधि का उपयोजन नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत (धारा 74 से 77) करना है। नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से परे व्यय करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन (धारा–78) प्राप्त करना आवश्यक है।

अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त व्यय की स्वीकृति नगर पंचायत बोर्ड से क्यों नहीं प्राप्त की गयी तथा इस पर राज्य सरकार का अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया।

अतः सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है

19. करों के भुगतान के लिए निर्गत चेकों का न भुनना

नगर पंचायत, सिलाव के रोकड़बहियों, चेक पंजियों एवं बैंक पासबुकों के जॉच में पाया गया की खनन कर, वाणिज्य कर एवं श्रम सेस के लिए निर्गत किये गये चेकों के राशि की निकासी बैंक से नहीं हुयी थी अर्थात इन करों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	चेक संख्या	दिनांक	राशि(₹)	जिसके नाम से चेक निर्गत किया गया
1	518631	29.03.11	33237.00	सहायक खनन पदाधिकारी, नालंदा
2	518632	"	80942.00	वाणिज्य कर आयुक्त नालंदा
3	518634	"	16019.00	श्रमायुक्त सह अध्यक्ष, बिहार भवन एवं अन्य सनिर्मान कल्याण बोर्ड, पटना
4	518642	29.03.12	52039.00	सहायक आयकर आयुक्त, टी0डी0 एस0 अंचल, पटना
5	518643 (सभी चेक SBI के A/C N0.- 11097396361 से संबंधित है)	"	61284.00	–तदैव–
		योग–	**243521.00**	

अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन चेकों के राशियो की निकासी अभी तक क्यों नहीं हुयी थी। साथ ही, यह भी नहीं बतलाया गया कि इन करों के भुगतान के लिए कार्यालय द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं इन करों का भुगतान शीध्र किया जाना चाहिए।

20. स्वीकृत बल के विरूद्ध कम कार्यरत बल

नगर पंचायत, सिलाव मे वर्ष 1978 में सरकार द्वारा कुल 09 पद विभिन्न वर्गो के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र0 सं0	**स्वीकृत पद**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत व्यक्तियो की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	प्रधान सहायक	01	–	01
2	टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल	01	01 (31.01.2013 तक)	-
3	चपरासी	01	–	01
4	सफाई जामादार	01	01	–
5	सफाई कर्मी	05	02	03
	कुल	**09**	**04**	**05**